

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर/
नवाबगंज, जनपद-गोण्डा / सण्डीला, जनपद-हरदोई।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 'नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवरस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की माँग पर नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत निम्न 03 नगर पालिका परिषदों हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष उल्लिखित कार्य हेतु कुल धनराशि रू0 150.00 लाख (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 75,00,000/- (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


क्र०	निकाय का नाम/जनपद	मद/कार्य	प्रस्तावित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	नगर पालिका परिषद, गुलावठी, बुलन्दशहर	1.वार्ड नं०-16 निर्माण इण्टरलाकिंग सड़क व नाली पट्टू के प्लाट से कलुआ के मकान तक। 2.वार्ड नं०-17 निर्माण इण्टरलाकिंग सड़क व नाली महेश के मकान से मण्डी रोड तक। 3.वार्ड नं०-17 निर्माण इण्टरलाकिंग सड़क व नाली रोहताश भगत जी के मकान से शिवकुमार के प्लाट तक। 4.वार्ड नं०-13 में निर्माण इण्टरलाकिंग सड़क व नाली हुस्नों के मकान से सोनी जी के प्लाट तक। 5.वार्ड नं०-13 में निर्माण इण्टरलाकिंग सड़क व नाली राजू के मकान से बचनसिंह के मकान तक। 6.वार्ड नं०-17 निर्माण इण्टरलाकिंग सड़क व नाली रिषीपाल के मकान से संदीप के मकान तक। 7.निर्माण नाला इरफान मछली वाले से हाजी अन्सार अब्बासी तक सैदपुर रोड तक।	06.23 03.44 09.32 13.27 02.09 02.08 24.59		
		योग	61.02	50.00	25.00
2	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज,	1.मो०पड़ाव में पी०डब्लू०डी० रोड से संस्कृत पाठशाला तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 2.नवाबगंज,गोण्डा के विभिन्न वार्डों में 30वाट	22.57 28.94		

	गोण्डा।	एल0ई0डी0 सोलर लाइट फिटिंग की आपूर्ति एवं स्थापना।			
		योग	51.51	50.00	25.00
3	नगर पालिका परिषद, सण्डीला, हरदोई।	1.वार्ड नं0-1 में श्री प्यारे लाल के मकान से मैकूलाल के प्लाट तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। 2.वार्ड नं0-4 में मुख्य मार्ग बऊआ की दुकान से वाटरवर्क्स पुलिया तक सी0सी0 रोड कार्य। 3.वार्ड नं0-5, कौशल किशोर शुक्ला के मकान से श्रीधर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य व श्री धर के मकान से शिवशंकर लाल के मकान तक। 4.वार्ड नं0-5 चक्कर रोड व वीरेन्द्र सोनी के मकान से श्रवण कुमार द्विवेदी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। 5.वार्ड नं0-5 में शिवमंगल यादव के मकान से राम गुलाम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। 6.वार्ड नं0-5 में भार्गव के मकान से अशोक के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। 7.वार्ड नं0-13 में रेलवे कासिंग से मुशीर की दुकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	06.82 08.68 04.79 06.15 06.72 07.74 09.29		
		योग	50.19	50.00	25.00
		महायोग		150.00	75.00

(रूपये पचहत्तर लाख मात्र)

- (1)- यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किशतों में समायोजित की जायेगी।
- (2)- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य बैंक/ डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।
- (3) योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.03.13 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान, आदि का कार्य निकाय के संबंधित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (5)- प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
- (6)- धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

- (7)– स्वीकृत की जा रहे कार्य धनराशि से करायें जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (8)– स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनापरान्त किया जायेगा।
- (9)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।
- (10)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् "नया सवेरा नगर विकास योजना" का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11)– उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 70 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिये जाने की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित नागर निकाय को अवमुक्त की जायेगी।
- (12)– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- (13)– वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।
- (14)– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के लेखाशीर्षक-“6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत- 02-मल-जल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1357-दस/14, दिनांक 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (सुधीर सिंह चौहान)
 संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
3. कोषाधिकारी, बुलन्दशहर,गोण्डा,हरदोई ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
7. संबन्धित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, उ०प्र० ।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. गार्ड फाइल ।
10. बेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग ।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

010

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष :-2013-2014

आवंटन दिनांक-04/03/2014

प्रेषण संख्या:-

154

आवंटन आदेश संख्या:-

001-RF154-9-9-2014-18RF-14

अनुदान संख्या:-

37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज (आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

04 - नया सवेरा नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बुलन्दशहर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2500000 17750000	2500000 17750000
2	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2500000 13725000	2500000 13725000
3	गोण्डा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2500000 65046500	2500000 65046500
	योग	वर्तमान प्रणामी	7500000 96521500	7500000 96521500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया पचहतर लाख

महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया नौ करोड़ पैसठ लाख इक्कीस हजार पाँच सौ

उप सचिव
उमा शंकर सिंह